

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,  
अपर मुख्य सचिव,  
उपरोक्त शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

**राजस्व अनुभाग-1**

**लखनऊ: दिनांक: 01 सितम्बर, 2023**

विषय:-उपरोक्त राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 उपधारा (3) के अधीन 5.0586 हेक्टर से अधिक भूमि के संक्रमण को प्राधिकृत किए जाने से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन 5.0586 हेक्टर से अधिक भूमि के संक्रमण को प्राधिकृत किए जाने हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-11/2021/928/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक-26.10.2021 एवं शासनादेश संख्या-09/2022/1025(1)/एक-1-2022-रा0-1, दिनांक-23.12.2022 को आंशिक रूप से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

निजी विश्व विद्यालय एवं निजी मेडिकल कालेज के निर्माण/स्थापना एवं अन्य प्रयोजन, जहाँ भूमि का मानक शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, के निमित्त विहित सीमा (5.0586 हेक्टर) से अधिक किन्तु निर्धारित मानक की सीमा तक की बिना पूर्वानुमति के क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाएगी, इस हेतु मार्ग राजस्व मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। मार्ग राजस्व मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त औपचारिक आदेश राजस्व विभाग से निर्गत किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadepesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश दिनांक 26.10.2021 एवं 23.12.2022 तक सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश दिनांक 26.10.2021 एवं 23.12.2022 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,  
सुधीर गर्ग  
अपर मुख्य सचिव।

### संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ३०प्र० शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ३०प्र० लखनऊ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, ३०प्र०।
4. निदेशक, सूचना विभाग, ३०प्र० लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
राम रत्न  
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।